न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 45/2018 तारीख रजू:—19.12.2018

1 सुजान पुत्र कोरया जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडूपूरा तहसील सपोटरा जिला करौली :—

अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.9.2018 न्यायालय तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

निर्णय दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील अपीलान्ट की ओर से नायव तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 28.9.2018 से नाखुश होकर बताया गया है कि मातहत अदालत ने अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का नोटिस नही दिया गया है बिना सुनवाई के एक तरफा कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का ने रंजीस बस अपीलानट के विरूद्व किया गया है किसी प्रकार का मौके पर कब्जा नही है। ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण किया है न्यायालय द्वारा बिना विधि विरूद्व तरिके से बिना माइण्ड एप्लाई किये ही निर्णय पारित किये गया है। इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 27.11.2018 को प्राप्त हुयी जानकारी से पूर्व अपीलान्ट को इस निर्णय का कोई पता नही है। अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर म्याद श्रीमान की सेवा मे पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोराते हुये कहा गया है कि अपीलान्ट की तामिल सही नही कराई गई है। ना ही अपीलान्ट को सुना गया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। जो रिपोर्ट की गई है वो गलत है। पटवारी से जिरह नही कराई गई है पश्चावर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। विधि अनुसार अपीलान्टी को सुना जाना आवश्यक है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का भरतून ने एक रिपोर्ट राजकीय भूमि चरागाह खसरा नम्बर 875 रकवा 4 विस्वा पर पक्की दीवार व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया था जिसमे नायव तहसीलदार सपोटरा द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्टी को धारा 91 एल.आर.

अपीलान्ट /अतिक्रमी इस अतिचार को नही हटा रहा है जिसके कारण आम जन को सार्वजनिक भूमि को उपयोग उपभोग मे बाधा उत्तपन्न हो रही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। नायव तहसीलदार सपोटरा का निर्णय दिनांक 28.9.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली